मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)

द्वितिय तल,तिलहन संघ भवन,1 अरेरा हिल,भोपाल(मध्यप्रदेश)पिन–462011

फोन–(0755) 2570431, 2570442 फैक्स : 0755 –2556619

Email :- mpsacs@gmail.com Website :- www. mpsacsb.org

क्रमांक / एफ 21–11 / आई.सी.टी.सी. / 2018 / 4692 भोपाल, दिनांक 13.11.18

प्रति,

1. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय,
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
3. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,
4. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मध्यप्रदेश

विषय :– एफआईसीटीसी केन्द्रों में एचआईवी जांच के संबंध में।

संदर्भः– समिति कार्यालय का पत्र क्रमांक / एफ 21–11 / आई.सी.टी.सी. / 2018 / 1342 दिनांक 18.05.2018

प्रदेश में एचआईवी जांच सेवायें प्रदान करने के लिये आईसीटीसी केन्द्र मुख्यतः जिला चिकित्सालयों व सिविल अस्पतालों में स्थापित है, इसके साथ ही कुछ चिन्हित केन्द्रीय जेलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एफआईसीटीसी स्थापित है। प्रदेश में एचआईवी जांच सेवाओं के संदर्भ में समय–समय पर विभिन्न निर्देश दिये गये है, इस हेतु पुनः निम्नानुसार कार्यवाही करें :–

1 एफआईसीटीसी की स्थापनाः–

1.1 चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला अस्पतालों में एफआईसीटीसी केन्द्र, विभिन्न विभागों में बनाये जा सकते है। शासकीय अस्पतालों में एफआईसीटीसी की स्वीकृति संस्था प्रमुख द्वारा प्रदान की जावें।

1.2 जहां भी एफआईसीटीसी बनायी जावे वहां के स्टॉफ को एक दिवसीय हैण्डस् ऑन ट्रेनिंग जिला चिकित्सालय / चिकित्सा महाविद्यालय के आईसीटीसी स्टॉफ द्वारा दिया जाकर इन्हें प्रमाण पत्र दिया जावे व प्रमाणपत्र की एक प्रति आईसीटीसी द्वारा भी रिकार्ड में रखी जावे।

1.3 एफआईसीटीसी में एचआईवी परामर्श एवं स्क्रीनिंग के लिये लैब टेक्निशियन / स्टॉफ नर्स / एएनएम / एलएचवी / एमपीडब्लू को प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

1.4 प्रशिक्षण उपरांत आईसीटीसी द्वारा संबंधित प्रशिक्षित स्टॉफ को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रदान किया जावे व प्रमाणपत्र की एक प्रति आईसीटीसी द्वारा भी रिकार्ड में रखी जावे।

1.5 इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न जेलों में स्थापित एफआईसीटीसी के स्टॉफ को एक दिवसीय हेण्ड्स ऑन प्रशिक्षण, जिला चिकित्सालय / चिकित्सा महाविद्यालय के आईसीटीसी स्टॉफ द्वारा दिया जाकर इन्हें प्रमाण पत्र दिया जावे व प्रमाणपत्र की एक प्रति आईसीटीसी द्वारा भी रिकार्ड में रखी जावे।

2 कम्यूनिटी बेस्ड स्क्रीनिंगः–

2.1 नाको की एचसीटीएस गाइडलाइन अनुसार टीआई / लिंक वर्कर स्कीम (एलडब्लूएस) में कम्यूनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग आरंभ की जानी है। ऐसी परियोजनाओ में कम्यूनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग (सीबीएस) की स्वीकृति राज्य कार्यालय द्वारा ही प्रदान की जावेगी।

2.2 जिन टीआई / एलडब्लूएस या अन्य नॉन टीआई एनजीओ को राज्य कार्यालय द्वारा सीबीएस की स्वीकृति प्रदान की जावेगी, उनके स्टॉफ का प्रशिक्षण चिकित्सा महाविद्यालय / जिला चिकित्सालय की आईसीटीसी पर 03 दिवस का आयोजित किया जावे। जिसके प्रथम दिवस एचआईवी परामर्श व टेस्टिंग की समस्त प्रक्रियाऐं / प्रोटोकॉल बताये जावे। द्वितीय दिवस संबंधित स्टॉफ से हैण्डस् ऑन ट्रेनिंग के दौरान आईसीटीसी में सिखाये गये कार्य कराये जावे व तीसरे दिवस आईसीटीसी स्टॉफ द्वारा इनके कार्यालय पर जाकर प्रशिक्षित स्टॉफ द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण किया जावे।

2.3 इस प्रकार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले स्टॉफ को आईसीटीसी द्वारा प्रमाणपत्र दिया जावेगा व प्रमाणपत्र की एक प्रति आईसीटीसी द्वारा भी रिकार्ड में रखी जावे।

3 प्रायवेट संस्थाओं का डाटा एकत्रीकरणः–

3.1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / एफ10–68 / EMTCT / 2018–19 / 3786 दिनांक 16.08.2018 के माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि एसटीआई परामर्शदाता प्रायवेट अस्पताल व लैब जहां एचआईवी व सिफलिस की जांच होती है, का डाटा एकत्रित कर नाको के सिम्स ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट करेगें।

3.2 इसी संदर्भ में डीडीजी नाको के पत्र क्रमांक Z-19017/02/2014/NACO/BSD/ICTC Dated 13th April 2018 अनुसार प्रायवेट अस्पताल द्वारा डाटा "HIV Pulse" App द्वारा रिपोर्ट किया जावेगा। "HIV Pulse" App द्वारा रिपोर्टेड समस्त डाटा को एसटीआई परामर्शदाता द्वारा माह में एकजाई कर नाको के सिम्स ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एंट्री की जावेगी।

3.3 सिम्स ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में उक्त डाटा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से रिपोर्ट किया जावे।

3.4 प्रायवेट अस्पताल से सिफलिस व एचआईवी जांच का डाटा एकत्रित करने के लिये इन प्रायवेट चिकित्सालयों के साथ नाको के निर्धारित प्रपत्र में MOU Sign किया जाना है। अतः जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी, प्रायवेट अस्पताल के साथ डाटा शेयर करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत रहेगें। जिलो के द्वारा मात्र 'C' Model के MOU पर ही हस्ताक्षर किये जा सकेगें। हस्ताक्षरित MOU की मूल प्रति एसटीआई परामर्शदाता द्वारा रिकार्ड में सुरक्षित रखी जावेगी, एवं प्रतिमाह कुल हस्ताक्षरित MOU की जानकारी राज्य कार्यालय को भेजी जावेगी।

4 एचआईवी टेस्ट किटः–

4.1 जिले के सरकारी अस्पतालों में स्थापित एफआईसीटीसी, जेलों में संचालित एफआईसीटीसी व सीबीएस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य द्वारा स्वीकृत टीआई/एलडब्लूएस/नॉन टीआई परियोजनाओ को एचआईवी टेस्ट किट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी।

4.2 प्रत्येक जिलें में एचआईवी किट भंडारण के लिये एक पृथक आईएलआर को चिन्हित किया जावे, जिसकी जिम्मेदारी जिला नोडल अधिकारी की होगी।

4.3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले की आवश्यकतानुसार माह में एक बार वाहन भेजकर एचआईवी जांच किट स्टेट रेफरेंस लैब इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर या मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति कार्यालय भोपाल से मंगाई जावेगी एवं जिले में इन किटो का भंडारण, चिन्हित किये गये पृथक आईएलआर में किया जावे।

4.4 किट स्टोर करने के लिये चिन्हित किये गये आईएलआर पर यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि **"यह आईएलआर केवल किट स्टोर करने के लिये है"** एवं इस पर रेड रिबन भी अंकित किया जावे।

4.5 आईएलआर में रखी गयी किटो का वितरण जिले की समस्त आईसीटीसी के साथ ही एफआईसीटीसी/सीबीएस साइटो यथा जेलों, टीआई/एलडब्लूएस/नॉन टीआई एनजीओ को किया जावेगा। प्राप्त व वितरित किटों को पूर्ण विवरण संधारित किया जावे।

4.6 समस्त स्टेट रेफरेंस लैब जिले से प्राप्त मांगपत्र अनुसार एचआईवी जांच किट/नेविरापिन/जिडोविडिन/आरपीआर किट प्रदान करेगें। यदि किसी एफआईसीटीसी/जेल/सीबीएस स्क्रीनिंग संचालित कर रही संस्था से मांगपत्र जिला नोडल अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया हुआ प्राप्त होता है तो उन्हें भी किट एसआरएल द्वारा प्रदान की जावे।

5 रिकार्ड एवं रिपोर्टिंगः–

5.1 समस्त सरकारी अस्पताल व जेल में स्थापित एफआईसीटीसी के लिये ए–1 रजिस्टर प्रदान किया जाना है। इसी ए–1 रजिस्टर में एचआईवी स्क्रीनिंग किये गये समस्त क्लाइंटो की जानकारी दर्ज कर रखी जावे।

5.2 टीआई/एलडब्लूएस/नॉन टीआई परियोजनाओ के लिये ए–12 रजिस्टर पर एचआईवी स्क्रीनिंग का समस्त विवरण दर्ज कर रखा जाना है।

5.3 समस्त एफआईसीटीसी व सीबीएस के लिये चिन्हित परियोजनाएं व प्रायवेट अस्पताल द्वारा की गयी सिफलिस व एचआईवी जांच की जानकारी माह की 05 तारीख तक नाको के सिम्स सॉफ्टवेयर में अनिवार्य रूप से भरी जावे। उक्त रिपोर्टिंग के कार्य की निगरानी एसटीआई परामर्शदाता द्वारा की जावेगी।

5.4 एफआईसीटीसी में की जा रही एचआईवी व सिफलिस की जांच व परामर्श के कार्य/रिकार्ड/रिपोर्टिंग की निगरानी व तकनीकि सहायता प्रदान करने का कार्य आईसीटीसी परामर्शदाता/लैब टेक्निशियन व एसटीआई परामर्शदाता द्वारा किया जावे। इस हेतु यह स्टॉफ आउटरीच गतिविधि के दौरान इन केन्द्रों की विजिट करेगें।

5.5 सीबीएस के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओ में की जा रही जांच व परामर्श के कार्य/रिकार्ड/रिपोर्टिंग की निगरानी व तकनीकि सहायता प्रदान करने के लिये आईसीटीसी परामर्शदाता/लैब टेक्निशियन व जिला आईसीटीसी सुपरवाइजर अधिकृत रहेगें।

6 समीक्षा बैठकः–

6.1 जिलें में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त गतिविधियों जैसे आईसीटीसी, डीएसआरसी, एआरटी, टीआई, एलडब्लूएस, ब्लड–बैंक, टीबी–एचआईवी, अहाना, विहान, जेल परियोजना, की प्रत्येक माह संयुक्त समीक्षा बैठक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला नोडल अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जावें।

6.2 इस समीक्षा बैठक में जिला नोडल अधिकारी के साथ समस्त केन्द्रों के प्रभारी/स्टॉफ द्वारा सहभागिता की जावे। जिले की समीक्षा बैठक में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के प्रोजेक्ट ऑफिसर, अहाना परियोजना के प्रोजेक्ट ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, जेल कार्यक्रम के प्रीजन पीयर मोबेलाईजर, विहान के कार्यक्रम समन्वयक, आरएनटीसीपी के पीएमडीटी–एचआईवी को–आर्डिनेटर, एसटीएस आदि को आवश्यक रूप से बुलाया जावे। प्रत्येक माह होने वाली संयुक्त समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण राज्य कार्यालय को भेजा जावे।

6.3 इसी प्रकार विकासखण्ड में संचालित आईसीटीसी/एफआईसीटीसी की समीक्षा बैठक प्रत्येक माह मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जावे। जिसमें अहाना के प्रोजेक्ट ऑफिसर/फिल्ड ऑफिसर को बुलाया जावे।

7 **आउटरीच गतिविधिः–**

7.1 प्रत्येक आईसीटीसी परामर्शदाता/लैब टेक्निशियन व डीएसआरसी परामर्शदाता को सप्ताह के निर्धारित दिवस पर आउटरीच गतिविधि करना अनिवार्य है। प्रत्येक माह की आउटरीच गतिविधि का प्लान नोडल अधिकारी से स्वीकृत कराना आवश्यक है। आउटरीच गतिविधि का विवरण एक पृथक आउटरीच रजिस्टर में रखें व इस रजिस्टर का वेरीफिकेशन नोडल अधिकारी से करायें।

7.2 परामर्शदाताओ/लैब टेक्निशियन द्वार आउटरीच गतिविधि में एचआईवी/सिफलिस पॉजिटिव गर्भवती महिला के फॉलोअप, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति जो एआरटी पर पंजीकृत नही हुये या एलएफयू हो गये का फॉलोअप, ई.आई.डी. टेस्ट के लिये बच्चों का फॉलोअप, एफआईसीटीसी की मॉनिटरिंग, तकनीकि सहायता हेतु, जेल में माह में एक बार एचआईवी, सिफलिस जांच हेतु, हॉट स्पॉट की आउटरीच गतिविधियां की जा सकती है।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन करने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(परियोजना संचालक द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
भोपाल, दिनांक....13.11.18

पृ. क्रमांक/एफ 21–11/आई.सी.टी.सी./2018/4693

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ प्रेषित :–

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
3. उप महानिदेशक, बीएसडी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई–दिल्ली।
4. राष्ट्रीय समन्वयक पीपीटीसीटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई–दिल्ली।
5. संयुक्त संचालक, टीकाकरण, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. उपसंचालक, मातृ स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
7. उपसंचालक, आशा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
8. समस्त एसआरएल प्रभारी, स्टेट रेफरेंस लैब, मध्यप्रदेश।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
10. टीम लीडर, टीएसयू, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
11. राज्य कार्यक्रम समन्वयक, साथी + जेल परियोजना, भोपाल।
12. समस्त एसआरएल टेक्निकल ऑफिसर, स्टेट रेफरेंस लैब, मध्यप्रदेश।
13. समस्त आईसीटीसी सुपरवाईजर म.प्र.।
14. समस्त आईसीटीसी परामर्शदाता/लेब टेक्निशियन, मध्यप्रदेश।
15. समस्त एसटीआई परामर्शदाता, मध्यप्रदेश।

13/11/2018
संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति